DATE: 11/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: IIIrd (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 08 (PARLIAMENT: LOKSABHA & RAJYASABHA)

LECTURE NO. - 09 (NINE)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

## लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और दोनों का पारस्परिक सम्बंध—

| लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|
| (1) इसे संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन एवं लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। | (1) राज्यसभा द्वितीय तथा उच्च सदन है। इसे 'वरिष्ठ सदन' भी कहा जाता है। |
| (2) लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है वर्तमान समय में इसकी सदस्य संख्या 545 है। | (2) इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, जिसमें से राष्ट्रपति (12 सदस्यों) को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की सं० (233+12) 245 है। |
| (3) यह भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है। | (3) यह भारतीय संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व तो करती, परन्तु इसमें सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। इतना ही नहीं पाँच (5) ऐसे संघीय क्षेत्र हैं जहाँ से एक भी सीट राज्यसभा को मिला नहीं है। |

| लोकसभा | राज्यसभा |
| --- | --- |
| | ये पाँच (5) हैं-(i) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह (ii) लक्षद्वीप (iii) चण्डीगढ़ (iv) लद्दाख (v) दादरा नगर हवेली और दमन-दीव |
| (4) लोकसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। साथ ही प्रत्यक्ष रीति से होता है। | (4) राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होती है। |
| (5) इसके सदस्यों को चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। | (5) इसके सदस्यों की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। |
| (6) लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। | (6) राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके एक-तिहाई (1/3) सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद ~~[illegible]~~ सेवानिवृत्त हो जाते हैं। |
| (7) साधारण विधेयकों के सन्दर्भ में व्यवहार में यह राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। | (7) साधारण विधेयकों के सन्दर्भ में राज्यसभा ~~[illegible]~~ को लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में इसकी स्थिति लोकसभा से बहुत निर्बल होती है। |
| (8) संविधान संशोधन विधेयक के सन्दर्भ में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों दृष्टि से राज्यसभा के बराबर शक्ति प्राप्त है | (8) संविधान संशोधन विधेयक के सन्दर्भ में लोकसभा की तरह ही इसे भी बराबर शक्ति प्राप्त है |

Scanned with CamScanner

| लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|
| (9) वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में इसकी शक्ति राज्यसभा से अधिक होती है। चूँकि ये विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और लोकसभा में पारित होने के उपरान्त ही राज्यसभा में भेजा जा सकता है। | (9) वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में इसकी शक्ति लोकसभा के अपेक्षा निर्बल है। चूँकि ऐसे विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद ही राज्य सभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा 14 दिन तक ही विचार कर सकता है और सुझाव दे सकता है। इसके सुझाव को मानना और न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। |
| (10) कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। चूँकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने का अधिकार भी लोकसभा को ही है। | (10) कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से इसकी स्थिति लोकसभा के अपेक्षा कमजोर है। |
| (11) अनुच्छेद 249 एवं अनु० 312 में उल्लेखित शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है। | (11) अनु० 249 एवं अनु० 312 में उल्लेखित शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। अनु० 249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची |

Scanned with CamScanner

| लोकसभा | राज्यसभा |
| --- | --- |
| | के अमुक विषय पर कानून बनाना चाहिए। अनुच्छेद 249 के अनुसार, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। |
| (12) राष्ट्रपति के निर्वाचन लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। | (12) राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के भी केवल निर्वाचित सदस्य एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। |
| (13) राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार इसे राज्यसभा की तरह ही है। | (13) इसे भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार लोकसभा की तरह ही है। |
| (14) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने के लिए राज्यसभा की तरह इसकी स्वीकृति आवश्यक है। | (14) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने के लिए लोकसभा की तरह इसकी भी स्वीकृति आवश्यक है। |
| (15) राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति राज्यसभा सहित लोकसभा की भी आवश्यक है। | (15) आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति लोकसभा सहित राज्यसभा की भी आवश्यक है। |

वर्णित विवेचना से स्पष्ट होता है कि लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की तुलना में अधिक है। हालाँकि कुछ शक्तियाँ दोनों सदनों को समान रूप से दी गई, जिससे प्रतीत होता है कि राज्यसभा लोकसभा का सहायक एवं सहयोगी सदन है।

Scanned with CamScanner